न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 04/2023

दायर दिनांक – 17.01.2023

निर्णय दिनांक – 13.02.2023

जीसीएमएस नं0 – 2023/16

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
ग्राम पंचायत गनाहेडा जरिये सरपंच श्रीमती लीला देवी निवासी ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री एस.के. चौधरी, अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार , पुष्कर

–: आदेश :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 सपठित 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी आबादी भूमि के खाता संख्या नया 744 के खसरा नंबर 1974/2574 रकबा 3.24 हैक्ट0 है, के मध्य से रेलवे लाईन निकली हुई है, जिसके खसरा नंबर 2586/3029 रकबा 0.21 हैक्ट0 भारतीय रेलवे विभाग के नाम दर्ज है। मध्य में से रेलवे लाईन निकलने से खसरा नंबर 1974/2574 मौके पर दो भागों में विभक्त हो गया है। परंतु वर्तमान राजस्व नक्शे में खसरा नंबर 1974/2574 रकबा 3.24 हैक्ट0 (ग्राम पंचायत गनाहेडा) रेलवे लाईन के उत्तरी भाग में ही तरमीम किया गया है, जबकि उत्तरी भाग का रकबा 0.4400 वर्गमीटर ही मौके पर है। शेष रकबा रेलवे लाईन के दक्षिणी हिस्से में मौके पर है। अतः वर्तमान राजस्व मानचित्र में तरमीम कर दुरूस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

13.2.23

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार, पुष्कर द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि "ग्राम गनाहेडा के आराजी खसरा नंबर 1974/2574 रकबा 3.24 है. वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 744 में ग्राम पंचायत गनाहेडा के नाम दर्ज है। ग्राम गनाहेडा के आराजी खसरा नंबर 2586/3029 रकबा 0.21 जमाबंदी खाता संख्या 835 में भारतीय रेलवे विभाग के नाम दर्ज है। सेग्रीगेशन जमाबंदी से नक्शा शीट में रेलवे विभाग की तरमीम हुई थी। सेग्रीगेशन जमाबंदी में वन टू वन मेपिंग के दौरान उक्त तरमीम वर्तमान नक्शे में होने से रह गयी है। वर्तमान नक्शे में खसरा नंबर 1974/2574 में रेलवे की भूमि खसरा नंबर 2586/3029 की तरमीम करने से खसरा नंबर 1974/2574 रकबा 3.24 हैक्ट0 दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग रेलवे लाइन से उत्तर दिशा में तथा दूसरा भाग रेलवे लाइन से दक्षिणी दिशा में हो जाता है। वर्तमान में आबादी भूमि का सम्पूर्ण रकबा 3.24 हैक्ट0 उत्तर दिशा में स्थित भू–भाग में खसरा नंबर 1974/2574 के रूप में दर्ज है जबकि दक्षिण दिशा के भू–भाग पर रेलवे के खसरा नंबर 2586/3029 रकबा 0.21 हैक्ट0 के रूप में अंकन है। रेलवे की तरमीम होने से निम्नांकित खसरा नंबर बनते है–

खसरा नंबर	रकबा
1. 1974/2574	0.2320 आबादी
2. 1974/2574/1	3.0080 आबादी
3. 2586/3029	0.2100 रेलवे

संलग्न नक्शा सेग्रीगेशन से पूर्व के अनुसार वर्तमान नक्शे में तरमीम किया जाना उचित है।

हमने प्रार्थी अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की उपस्थिति में बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित प्रार्थी के आराजी कृषि भूमि के खसरा नंबर 1974/2574 रकबा 3.24 हैक्ट0 तथा खसरा नंबर 2586/3029 रकबा 0.21 हैक्ट0 की वर्तमान राजस्व नक्शे में तहसीलदार, पुष्कर द्वारा प्रस्तावित राजस्व नक्शे के अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

13.2.22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित प्रार्थी के आराजी आबादी भूमि के 1974/2574 रकबा 3.24 हैक्ट0 के स्थान पर नवीन खसरा नंबरान 1974/2574 रकबा 0.2320 (आबादी) तथा 1974/2574/1 रकबा 3.0080 (आबादी) गठित किये जाते है। वर्तमान राजस्व नक्शे में प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

13.02.2023

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

...स्तलवाट
...गना छोटा
...तह. - अजमेर
जिला - अजमेर
राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट ... (राज.)

सन 1983-84 सम्वत - 2040-41

पैमाना 1 से.मी. = 80 मीटर

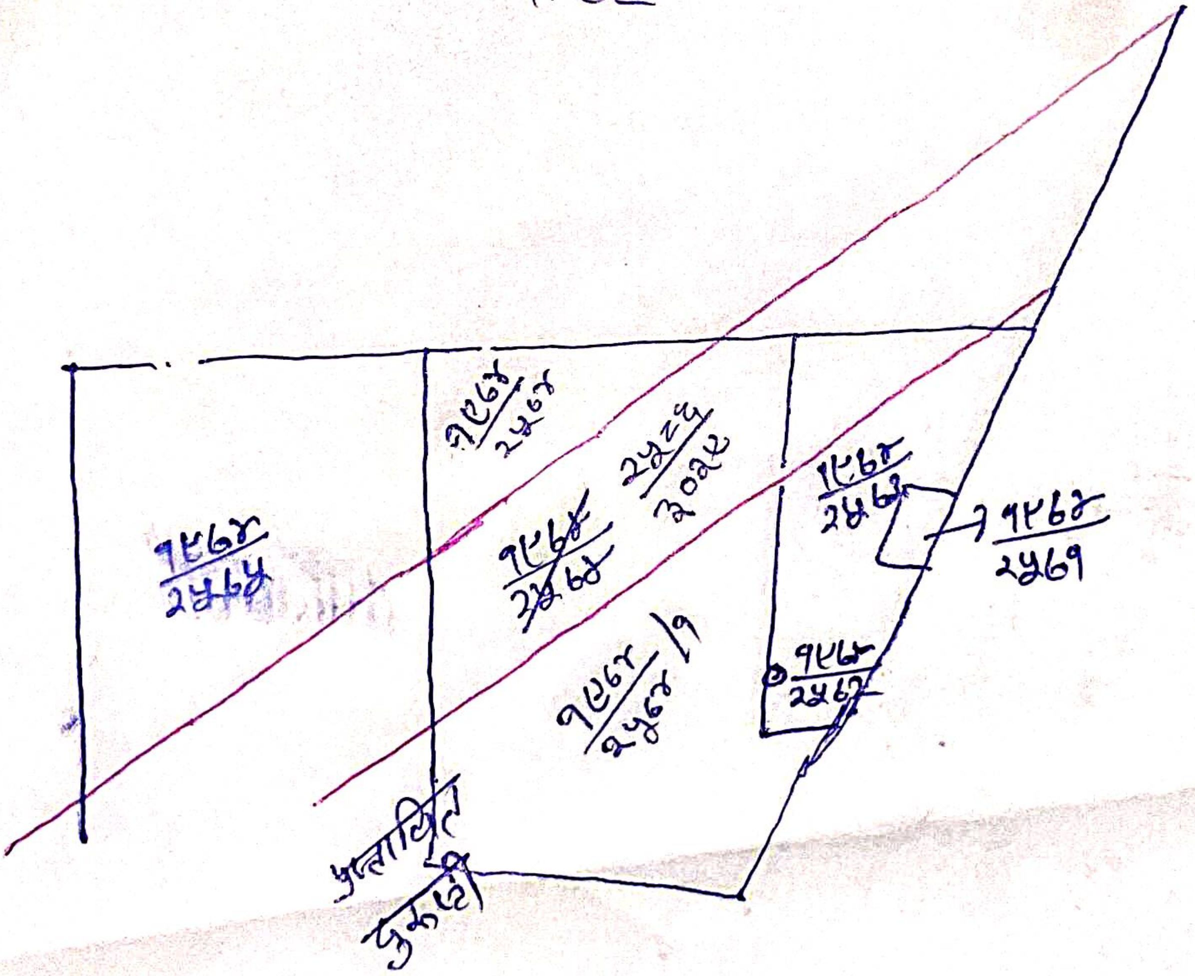

13.2.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

तहसीलदार पुष्कर

राजकाज हेतु दि: 13.2.22
जारी।

तहसीलदार, पुष्कर

पटवारी हल्का